

27-5-24

उपखण्डाधिकारी

धौलपुर (राज.)

पत्तावती प्रार्थी परम मिद ने हकी शास्त्रिण  
पर पेश हुई। वकील वादी दावा जोरज  
का खारिज करने का निवेदन किया। अतः  
दावा जोरज के आवार पर खारिज  
किया जा रहा है। प्रकरण केवल सुनार  
होकर कामिल रूप में है।

उपखण्डाधिकारी

धौलपुर (राज.)

Not Press

*[Handwritten signature]*

(2/5/24/18/10/10)

प्रसाद जाति लोधा निवासी भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर

जिला धौलपुर